

07/4/2021

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित
वकील वादी को बार-बार अवाज
लगाने बाद भी 6:30 PM तक वादी
उपस्थित नहीं हुए। अतः तामील के
अभाव में व अनुपस्थित रहने कारण
वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में
स्वारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर बजे बुधवार से
कम हो व दारिखल दबतरही।

सहायक कलेक्टर

जयपुर शहर प्रथम

अरशदीप बरार (जि.ए.ए.ए.ए.)

सहायक कलेक्टर

जयपुर शहर प्रथम

